कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांस्पोर्ट नगर सहारनपुर रोड़ देहरादून।

टैन्डर प्रपत्र– लाइब्रेरी कार पार्किंग मसूरी के ठेके हेतु।

ठेके की अवधि– दिनांक 16.06.2019 से दिनांक– 31.03.2020 तक

1– निविदादाता का नाम :–

2– निविदादाता के पिता का नामः–

3– (क) पत्राचार का पता :–

(ख) स्थाई पता

(ग) दूरभाष नं0 :–

4– **प्राधिकरण द्वारा निर्धारित/संसूचित न्यूनतम धनराशि रू0–11,92,000/–**

5– धरोहर धनराशि का विवरणः–रू0–1,12,000/–

मै/हम एतद्द्वारा घोषित करता/करते हैं कि उपरोक्त टैण्डर में प्रस्तावित धनराशि उच्चतम होने के आधार पर यदि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की जाती है तो मुझे प्राधिकरण की समस्त शर्ते/नियम स्वीकार होगें । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । मेरे द्वारा यदि शर्तों का उल्लघंन किया जाता है तो मेरी जमा धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0जब्त कर ली जाय ।

हस्ताक्षर एवं नाम

सलंग्नक– 1.

2.

3. ठेके से सम्बन्धित शर्त टैन्डर फार्म के साथ सलंग्न स्वयं हस्ताक्षरित

नोटः–निविदादाता को टैन्डर प्रपत्र के साथ अपना पहचान पत्र/आधार नम्बर, पैन नम्बर एवं जी0एस0टी0एन0 नम्बर /आवेदन की प्रति (पूर्ण पता सहित) तथा जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र पमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्राधिकरण की परिसम्पत्ति लाईब्रेरी कार पार्किंग मसूरी को दिनांक 16.06.2019 से दिनांक 31–3–2020 तक के लिए ठेके पर दिये जाने हेतु शर्त निम्न प्रकार होगी ।

1– धरोहर राशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो कि सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक होगी । टेण्डर के साथ लगाना अनिवार्य होगा ।

2– ठेका दिनांक 16–06–2019 से दिनांक– 31–03–2020 तक के लिए दिया जायेगा ।

3– प्राधिकरण द्वारा उक्त ठेके की न्यूनतम निर्धारित धनराशि रू0–11,92,000/– निर्धारित है जिस पर धरोहर राशि के रूप में रू0–1,12,000/–की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 दिनांक 31.03.2020 तक वैध हो को सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक हो जमा करानी होगी। धरोहर राशि किसी भी रूप में नगद स्वीकार नहीं होगी।

4– विगत वर्षो के बकायेदार टेण्डर में भाग लेने के पात्र नहीं होगें।

5– ठेके की धनराशि निम्न प्रकार से जमा करनी होगी ।

दिनांक 10.06.2019 तक 50 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी, साथ ही ठेकेदार को स्वीकृत ठेके की धनराशि का 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क/पंजीकृत अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 31 अगस्त 2019 से पूर्व जमा करानी होगी। यदि टेण्डरदाता द्वारा वांछित धनराशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं करायी जाती है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए प्राधिकरण को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति भी करनी होगी। द्वितीय उच्च टेण्डरदाता के पक्ष में टेण्डर स्वीकृति के सम्बन्ध में नेगोसियेशन एवं गुण दोष के आधार पर विचार किया जायेगा। किस्तो में धनराशि जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

6– जैसा है जहॉ है के आधार पर टेण्डर किया जा रहा है।

7– पार्किंग ठेकेदार पार्किग शुल्क निम्न प्रकार से वसूल करेगें ।

(क) दुपहिया वाहन रू0–20.00 प्रति वाहन समय 4 घण्टे।

(ख) कार जीप अथवा हल्का वाहन रू0–75.00 वाहन समय 4 घण्टे।

(ग) नाईट हाल्ट की स्थिति में रू0 150/– प्रति वाहन।

(घ) बस ट्रक व भारी वाहन रू0 200/– प्रति वाहन।

8– पार्किग स्थलों में लगी सामग्रीयां/उपकरणों की देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेका अवधि तक स्थल ठेकेदार की होगी ।

9– पार्किग के अतिरिक्त स्थल का अन्य प्रयोग वर्जित होगा ।

10– पार्किग स्थल की सफाई व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वंय करानी होगी, इस सम्बन्ध में यदि कोई भी कमी पायी जाती है तो सम्बन्धित पार्किग ठेकेदार पर अर्थदण्ड का आरोपण किया जायेगा जो रू0 500.00 प्रतिदिन तक हो सकता है ।

11– पार्किग केवल प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्मित स्थल पर ही करायी जायेगी ।

12–प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों/शासकीय /जिला प्रशासन के सरकारी वाहन निःशुल्क पार्क होगें । इस सम्बन्ध में यदि कोई अनुशासनहीनता की शिकायत प्राप्त होगी तो सम्बन्धित पार्किंग ठेकेदार पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा अथवा निरस्त भी किया जा सकता है ।

13– यदि किसी भी कारण से ठेकेदार के कार्य पर आय प्रभावित होती है तो वह स्वीकृत धनराशि को कम कराने का अधिकारी नहीं होगा ।

14– भविष्य में ठेकेदार व प्राधिकरण के मध्य वाले प्रत्येक विवाद का समाधान मध्यस्था के आधार पर होगा । इस प्रकार भविष्य में उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी मध्यस्थ की नियुक्ति ठेकेदार एवं प्राधिकरण दोनों को मान्य होगी ।

15– ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा ।

16– पूर्व में कोई भी ठेकेदार प्राधिकरण का डिफाल्टर रहा हो तो वर्तमान ठेकों में टेण्डर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।

17– यदि ठेके की अवधि में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कोई भी कर आदि लगाया जाता है तो उसको अदा करने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार पर ही होगा ।

18– यदि ठेकेदार पर कोई भी धनराशि बकाया रह जाती है तो उसे भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूला जायेगा ।

19– पार्किंग के पास शिकायत पेटी रखनी होगी।

20– पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क का स्पष्ट बोर्ड तथा प्राधिकरण कार्यालय का टेलीफोन नं0 बोर्ड पर अंकित होना चाहिए।

21– फर्म/व्यक्ति को अपना पेन नम्बर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

22– पार्किंग स्थल पर सफाई व्यवस्था स्वयं फर्म/व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

23 – पार्किंग स्थल पर तैनात कर्मियों के लिये ड्रेस निर्धारित करनी होगी।

24– पार्किंग स्थल पर तैनात कर्मियों द्वारा वाहन स्वामियों के दुर्व्यहार किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

25– विद्युत बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

26– स्वीकृत टेण्डर की धनराशि पर 2% निर्धारित टी0सी0एस0 की देय धनराशि का भुगतान प्रथम 50% धनराशि के साथ ही ठेकेदार को जमा करानी होगी।

27– प्राधिकरण द्वारा यदि उक्त पार्किंग स्थल पर कोई योजना प्रस्तावित की जाती है, तो प्राधिकरण ठेका निरस्त करते हुए कब्जा वापस लेने हेतु स्वतंत्र होगा, जो कि ठेकेदार को मान्य होगा।

28– टेण्डर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति एवं पार्किंग से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकरणों में निर्णय लेने का अधिकार उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा।

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx